NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No : 101/NCRES/20

Date :21.5.2020

श्रीमान महाप्रबंधक
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषय :– NCRES के शाखा सचिव श्री ए. के. पोद्दार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, प्रयागराज का स्थानान्तरण रद्द किया जाना।

संदर्भ :– रेलवे बोर्ड का पत्र सं0 E(NG)I-2020/TR/2 दि0 12.5.2020

महोदय,

Covid-19 महामारी के संकट के समय रेलवे बोर्ड ने संदर्भित पत्र सं0 E(NG)I-2020/TR/2 दिनांक 12.5.2020 द्वारा आदेश जारी कर निर्देश दिया है कि संवेदनशील (Sensitive) पदो पर कार्यरत कर्मचारियों के किये गये आवधिक (Periodical) ट्रान्सफर, जिनका कियान्वयन नही हुआ, उन पर पुर्नविचार किया जाय और 31.7.2020 तक स्थगित किया जाय, लेकिन NCRES का मानना है कि इस विश्वव्यापी महामारी में रेलवे बोर्ड की मंशा यही है कि वर्ष 2020 तक के लिये Periodical Transfer रद्द किया जाय।

NCRES ने अपने पदाधिकारी श्री ए. के. पोद्दार, FSO/PRYJ के स्थानान्तरण आदेश को निरस्त करने के लिये दिनांक 4.5.2020 को पत्र लिखा और उसके बाद PCMD से कई बार बात कर उन्हें बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) का पद संवेदनशील (Sensitive) नही है लेकिन PCMD संवेदनशील पदो के बारे में रेलवे बोर्ड के प्रावधानो से अलग विचार रखते है और अपने उप मुख्य चिकित्सा निदेशक के गलत निर्णय को सही बता रहे है जिसके कारण NCRES के कैडर में बहुत असंतोष है, इसलिये आपका हस्तक्षेप आवश्यक है।

NCRES का अनुरोध है कि आप निम्न लिखित तथ्यो पर ध्यान देने का कष्ट करे।

(1) NCRES को ज्ञात हुआ है कि प्रधान कार्यालय के उप मुख्य चिकित्सा निदेशक ने CMS/Agra को प्रेषित अपने पत्र दिनांक 23.4.2015 (संलग्न) में मनमाने ढ़ंग से ''खाद्य सुरक्षा अधिकारी'' के पद को ''संवेदनशील पद'' घोषित कर दिया था और उसी के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद को आज भी संवेदनशील माना जा रहा है।

(2) NCRES ने जब अपने शाखा सचिव श्री ए. के. पोद्दार के ट्रान्सफर पर PCMD से कहा कि रेलवे बोर्ड के Master Circular No. 24 के 4.3(ii) F के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी का पद Sensitive नही है, तो PCMD ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी का पद संवेदनशील है, और जब NCRES ने इससे सम्बन्धित कोई परिपत्र मांगा तो PCMD ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी का पद **"संवेदनशील की तरह"** है। इससे प्रतीत होता है कि PCMD स्वयं भ्रमित है और अपने उप मुख्य चिकित्सा निदेशक द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद को संवेदनशील घोषित करने के तथ्य को सही ठहराना चाहते है।

(3) NCRES को स्पष्ट करना है कि **रेलवे बोर्ड ने अपने किसी भी परिपत्र द्वारा किसी भी विभाग के असंवेदनशील (Non Sensitive) पद को संवेदनशील (Sensitive) की तरह परिभाषित नही किया है।**

नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के उप मुख्य चिकित्सा निदेशक द्वारा मनमाने ढ़ंग से खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद को संवेदनशील घोषित करना एक गम्भीर विषय है और PCMD द्वारा समर्थन करना उससे भी गम्भीर विषय है, इसलिये NCRES का अनुरोध है कि उप मुख्य चिकित्सा निदेशक द्वारा "खाद्य सुरक्षा अधिकारी" के पद को मनमाने ढ़ंग से संवेदनशील (Sensitive) घोषित करने के कार्य की उच्च स्तरीय जांच करायी जाय।

(4) स्थापना नियमो का स्वामी कार्मिक विभाग है और स्थापना नियमो का पालन ठीक ढ़ंग से हो, इसकी जिम्मेदारी भी कार्मिक विभाग की है। कर्मचारियों के कौन से पद संवेदनशील है, इसकी सम्पूर्ण जानकारी कार्मिक विभाग को है, इसके बावजूद असंवेदनशील (Non Sensitive) पद को संवेदनशील (Sensitive) मानने की PCMD की जिद्द को कार्मिक विभाग द्वारा स्वीकार कर लेना उचित नही है।

इस सम्बन्ध में NCRES का स्पष्ट मत है कि यदि स्थापना नियमो को इस तरह तोड़–मरोड़ कर लागू किया जायेगा तो निश्चित रूप से कर्मचारियों में असंतोष फैलेगा।

(5) यह भी ध्यान दिये जाने की बात है कि संवेदनशील (Sensitive) पद का ही कार्यकाल 4 वर्ष निर्धारित है और श्री ए. के. पोद्दार का कार्यकाल FSO/PRYJ के पद पर 4 वर्ष पूरा होते ही कार्मिक विभाग ने अपने पत्र दिनांक 28.2.2020 द्वारा आवधिक (Periodical) स्थानान्तरण के सम्बन्ध में NCRES से अनापत्ति मांग लिया जिसपर NCRES ने अपने पत्र दिनांक 11.3.2020 द्वारा अनुरोध किया कि श्री पोद्दार के स्थानान्तरण का प्रस्ताव निरस्त किया जाय।

(6) NCRES के अनुरोध को कार्मिक विभाग ने स्वीकार नही कियां और श्री ए. के. पोद्दार, FSO/PRYJ जो पूरी निष्ठा, ईमानदारी और बिना किसी शिकायत के अपने पद पर 4 वर्ष से कार्य कर रहे थे, का ट्रान्सफर दिनांक 1.5.2020 को प्रयागराज मण्डल से झांसी मण्डल कर दिया।

NCRES का स्पष्ट मत है कि FSO/PRYJ के पद को Sensitive मानते हुये श्री ए. के. पोद्दार का किया गया स्थानान्तरण पूर्णतया गलत है, इसलिये स्थानान्तरण आदेश निरस्त किया जाना चाहिये।

(7) वर्तमान में Covid-19 महामारी के इस विश्वव्यापी संकट में रेलवे बोर्ड ने भी दिनांक 12.5.2020 को आदेश जारी कर सभी जोनल रेलवे को निर्देश दिया है कि संवेदनशील पदो पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के ट्रान्सफर आदेश को रिव्यू किया जाय। NCRES का मत है कि इस विश्वव्यापी संकट के समय खर्च में कटौती करने के लिये किसी भी कर्मचारी का आवधिक/प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण न किया जाय।

अन्त में NCRES का विशेष अनुरोध है कि आप श्री ए. के. पोद्दार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी/प्रयागराज के स्थानान्तरण पर व्यक्तिगत रूप से पुनर्विचार करने की कृपा करे और श्री पोद्दार का जारी ट्रान्सफर आदेश दिनांक 1.5.2020 को निरस्त करने के लिये उचित आदेश करने की कृपा करे।

संलग्न : उप मुख्य चिकित्सा निदेशक का पत्र दिनांक 23.4.2015

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री

प्रतिलिपि :– (1) प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज
(2) डा0 एम. राघवैय्या, महामंत्री, एन.एफ.आई.आर, नई दिल्ली

संख्या 4-मेड/स्वा.एवं स्व./खाद्य सुरक्षा

दिनांक-23/04/2015

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
इलाहाबाद /झाँसी /आगरा

विषय-खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्य करने हेतु सहमति प्रदान करने के सम्बन्ध मे।

सन्दर्भ -रेलवे बोर्ड का पत्र सं 2014/H-1/9/4 दिनाँक-24/03/2015

***

उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुसार प्रत्येक मंडल में एक-एक खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जानी है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी का प्रशासनिक नियंत्रण मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के अधीन रहेगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी का पद संवेदनशील पद है और उसका स्थानांतरण उत्तर मध्य रेलवे में कही भी किया जा सकता है। जो भी स्वास्थ्य एवं खाद्य निरीक्षक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्य करने को इच्छुक हो उनकी सहमति लेकर इस कार्यालय को जल्द से जल्द भेजने की कृपा करे। वर्तमान में श्री ए.के. पोददार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत है एवं श्री आर.के. सैनी का FSSAI के द्वारा नोटीफिकेशन हो चुका है एवं वह ट्रेनिंग भी ले चुके है।

23/4/15
(डा प्रकाश मुर्मु)
उप मुख्य चिकित्सा निदेशक
उ.म.रे. इलाहाबाद